


राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:प.4 (iv) कृ.यंत्र/2015-16/ 3942-50

दिनांक: 25/3/2016

संशोधित आदेश

“कस्टम हायरिंग केन्द्र मोगड़ा कला” पंचायत समिति लूणी जिला जोधपुर की स्थापना हेतु जारी प्रशासनिक स्वीकृति आदेश क्रमांक:प.4 (iv) कृ.यंत्र/2015-16/3800-10 दिनांक 15.03.2016 परिशिष्ट “1” में ऋण प्रदाता बैंक का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा महामंदिर जिला जोधपुर के स्थान पर बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा मोगड़ा ; पढ़ा जावे।


(एल. एन. कुमावत)


अतिरिक्त निदेशक, कृषि (विस्तार)

क्रमांक:प.4 (iv) कृ.यंत्र/2015-16/ 3942-50

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त निदेशक, कृषि (आदान) मुख्यालय, जयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार, कृषि, मुख्यालय, जयपुर।
3. खण्डीय संयुक्त निदेशक, कृषि (वि0), जोधपुर।
4. उप निदेशक, कृषि (वि0), जिला परिषद जोधपुर को उनके द्वारा अग्रेषित पत्र के क्रम में प्रेषित कर लेख है कि प्रशासनिक स्वीकृति के अन्तर्गत वर्णित शर्तों की पालना हेतु आवेदक से शपथ पत्र प्राप्त कर आवेदन सम्बन्धित बैंक शाखा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करे।
5. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर/सहायक जन संपर्क अधिकारी मुख्यालय, जयपुर।
6. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा मोगड़ा जिला जोधपुर जरिये उप निदेशक, कृषि (वि0), जिला परिषद जोधपुर।
7. श्री कलाराम को प्रेषित कर लेख है कि प्रशासनिक स्वीकृति आदेश में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु शपथ पत्र उप निदेशक, कृषि (वि0) जिला परिषद जोधपुर कार्यालय को प्रस्तुत करे तथा सम्बन्धित बैंक शाखा से सम्पर्क कर “कस्टम हायरिंग केन्द्र मोगड़ा कला” पंचायत समिति लूणी जिला जोधपुर” की स्थापना हेतु ऋण प्राप्त किये जाने की कार्यवाही पूर्ण करे।
8. आरक्षी पत्रावली।



अतिरिक्त निदेशक, कृषि (विस्तार)